संख्या-83/2022/776 /12-5-2022-सा0-01/2019

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 2022

विषय: **प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत किसानों के भूलेख का विवरण पी0एम0 किसान पोर्टल पर दर्ज कराने के संबन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-42/2022/14-भा0स0/12-5-2022-सा0-01/2019 दिनांक 30 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर कृषकों की भूमि के सत्यापन एवं डाटा को पी0एम0 किसान पोर्टल पर आपलोड कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उपरोक्त के क्रम में पी0एम0 किसान योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत कृषकों का भूलेख विवरण पोर्टल पर अंकित कराने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे हैं:-

2. **पी0एम0 किसान पोर्टल पर अवशेष कृषकों का विवरण अंकित कराया जाना:-**

2.1 भारत सरकार के पोर्टल से एक्सेप्टेड यूनिक नम्बर आफ्टर वैलिडेशन एवं पेन्डिग लैण्ड रिकार्ड सीडिंग की डाउनलोड सूची का मिलान कर अवशेष यूनिक आई0डी0 पृथक कर लिया जाय। इस पृथक सूची से वर्तमान भूलेख सत्यापन में पाये गये मृतक एवं विभिन्न कारणों से अपात्र कृषकों के यूनिक आई0डी0 की सूची से मिलान कर वास्तविक पेन्डिग लैण्ड रिकार्ड सीडिंग हेतु अवशेष कृषकों की सूची तैयार कर संबन्धित लेखपाल को भूलेख अंकन हेतु उपलब्ध करा दिया जाय जिससे कम समय में कार्य को पूर्ण किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.2 वास्तविक पेन्डिग लैण्ड रिकार्ड सीडिंग हेतु अवशेष कृषकों की सूची में कृषक का नाम, पता पिता का नाम अथवा सही गॉव का विवरण अंकित न हो तो जनपद के जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक के सहयोग से बैंक द्वारा कृषकों के पता संबन्धी विवरण प्राप्त कर सम्बन्धित लेखपाल को उपलब्ध करायी जाने वाली सूची में अनिवार्यतः अंकित करा दिया जाए, जिससे उनके द्वारा कृषकों की सही पहचान करते हुये भूलेख अंकन की कार्यवाही समय से पूर्ण करायी जा सके।

2.3 पी0एम0 किसान पोर्टल पर अपलोड किये गये रिकार्ड की राजस्व/कृषि विभाग के कार्मिक से हस्ताक्षरित प्रति उप कृषि निदेशक कार्यालय में अनिवार्य रूप से संरक्षित की जायेगी।

3. **भूलेख सत्यापन में मृतक चिन्हित कृषकों के संबन्ध में कार्यवाही:-**

3.1 भूलेख सत्यापन में पाये गये चिन्हित मृतक कृषकों की सूची अलग से तैयार की जाय जिसमें उनके पी0एम0 किसान आई0डी0, नाम, पता, बैंक डिटेल, मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु के पश्चात पी0एम0 किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत स्थानान्तरित किस्तवार धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित हो।

3.2 मृत्यु की तिथि के चौमास के पश्चात अगर किस्तें अवमुक्त की हुई हों तो उक्त अतिरिक्त किस्त की जिससे मृतक कृषकों से वसूली की कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायी जाये । वसूली हेतु प्रक्रिया पूर्व से ही निर्धारित है, जिसका अनुपालन किया जाए।

3.3 उप कृषि निदेशक के स्तर से पी0एम0 किसान पोर्टल पर मृतक लाभार्थी कृषकों का स्टॉप पेमेन्ट अनिवार्यतः किया जायेगा। मृतक लाभार्थी हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा लेखपाल द्वारा भू अभिलेखों में दर्ज विरासत को समुचित प्रमाण माना जायेगा।

4. **भूलेख सत्यापन में भूमिहीन चिन्हित कृषकों के संबन्ध में कार्यवाही:-**

4.1 भूलेख सत्यापन में पाये गये चिन्हित भूमिहीन कृषकों की सूची अलग से तैयार की जाय जिसमें उनके पी0एम0 किसान आई0डी0 नाम पता बैंक डिटेल एवं पी0एम0 किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत स्थानान्तरित किस्तवार अनुदान की धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित हो।

4.2 उप कृषि निदेशक के स्तर से पी0एम0 किसान पोर्टल पर भूमिहीन कृषकों का स्टाप पेमेन्ट किया जायेगा एवं उन्हे नोटिस देकर अनुदान की धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

5. **ओपेन सोर्स पंजीकृत कृषकों का सत्यापन :-**

5.1 तहसील स्तर से ओपेन सोर्स पंजीकृत कृषकों की सूची निकालकर संबन्धित लेखपाल द्वारा सत्यापन कराते हुये भूलेख विवरण इत्यादि प्राप्त कर लिया जाए।

5.2 लेखपाल की सत्यापन रिपोर्ट के अनुरूप तहसील लॉगिन से पात्र कृषकों की सूची को अप्रूव कर दिया जाय तथा भूमिहीन अथवा अपात्र कृषकों अथवा अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.3 पी0एम0 किसान पोर्टल पर कृषकों द्वारा पंजीकरण के समय तहसील, राजस्व ग्राम, विकासखण्ड के नाम का परीक्षण तहसील द्वारा किया जायेगा। राजस्व विभाग के भूलेख में अंकित रिकार्ड के अनुसार कृषकों के धारित भूमि का राजस्व ग्राम, तहसील का नाम एवं एल0जी0डी0 कोड त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में एडिट कर ठीक किया जायेगा।

5.4 पी0एम0 किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स पंजीकृत कृषकों के लिये खसरा खतौनी एवं आधार की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है। कृषकों के द्वारा उक्त दोनो अभिलेख अपलोड न होने की दशा में तहसील स्तर से अप्रूवल के समय ही रिजेक्ट करने का कारण अंकित करते हुये रिजेक्ट कर दिया जाय जिससे कृषक तद्नुसार प्राप्त सन्देश के आधार पर पुनः अपने रिकार्ड को पोर्टल पर Updation of Self Registered Farmer के माध्यम से अपलोड कर सके।

5.5 उप कृषि निदेशक के स्तर से तहसील द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों को अप्रूव करने से पूर्व अपने विभागीय कार्मिकों के माध्यम से उनके स्व घोषणा पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) संकलित कराकर यथावत पत्रावलित किया जाए। साथ ही योजना की मार्ग निर्देशिका के अनुरूप कृषकों की पात्रता का परीक्षण, कृषकों के भू-अभिलेख को छोडकर अन्य विवरण यथा-आधार, नाम, पिता का नाम का यथावत परीक्षण करते हुये स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा।

5.6 मृतक कृषकों के मृत्यु के पश्चात वरासत की स्थिति में नये पंजीकृत कृषकों के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्व घोषणा पत्र के अनुसार मृतक के मृत्यु की तिथि के पश्चात भुगतान की धनराशि की वसूली सम्बन्धित वारिस से करने के पश्चात ही उसे नये पंजीकृत कृषक के रूप में पात्रता की श्रेणी में मानते हुये अप्रुवल दिया जायेगा।

5.7 जनहित गारण्टी अधिनियम के अधीन पी0एम0 किसान आवेदकों का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु समय सीमा निर्धारित है। उक्त के अनुसार 15 दिन का समय तहसील स्तर से सत्यापन करने एवं 15 दिन का समय उप कृषि निदेशक स्तर पर निस्तारित करने हेतु दिया गया है। अत: उक्त सीमा में ही सभी आवेदनका निस्तारण हो।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हो।

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in